संख्या–183 /VI-I/2006–2(12)2005

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
युवा कल्याण निदेशालय
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय अवमुक्त किए जाने के सम्बंध में।

देहरादून दिनांक 14 सितम्बर, 2006

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–504/दो–1362/2006–07 दिनांक–11 अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यवस्थित रूपये 2.22 लाख (रूपये दो लाख बाईस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

आयोजनागत
धनराशि हजार रूपये में

योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1. युवा दलों को प्रोत्साहन	1.20
2. स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण	1.02
कुल योग	2.22

2. उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि स्वीकृति के मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृति में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3. धनराशि आवंटन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपदों के परिव्यय से अधिक अथवा निर्धारित परिव्यय के असमान आवंटन न हो। धनराशि यथाशीघ्र जनपदों को आवंटित कर अवगत कराया जायेगा।

4. भविष्य में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान/जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत संगत अनुदानों में धनराशि का प्राविधान किया जाय।

5. जहां आवश्यक हो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय के

प्राप्त किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर किया जायेगा, और यह दरें न होने की स्थिति टेण्डर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

6. इस सम्बंध में होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–91–जिला योजना–9101 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग–42–अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–892/वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक– 11 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या–183/VI-I/2006/समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संख्या– 139 /VI-I/2006–7(युवा)2003

सेवा में,

निदेशक
युवा कल्याण निदेशालय
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांकः 14 सितम्बर, 2006

विषयः–मिनी स्टेडियम टिपऊ, विकासखण्ड कालसी में निर्मित मिनी स्टेडियम की सुरक्षा के लिए वापरकेट व नाली निर्माण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, युवा कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या–56/सात–487/2005–06 दिनांक–20 अप्रैल 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मिनी स्टेडियम की सुरक्षा के लिए वापरकेट व नाली निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तरांचल देहरादून ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए रूपये 3.00 लाख के आंगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रूपये 2.64 लाख (रूपये दो लाख चौसठ हजार मात्र) की लागत के आंगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में इतनी ही धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि स्वीकृत की मितव्यय मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के

अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. जहॉ आवश्यक हो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय के प्रस्ताव पर प्राप्त कर लिया जायेगा। जहॉ निर्माण कार्य किये जाने हों वहॉ आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का कय डी0जीएस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा, और यह दरें न होने के स्थिति में टेण्डर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।